

प्रेस नोट थाना रामगढताल दिनांक 09-04-2021

टाटा नमक और टाटा टी अग्नी चाय का नकली रैपर तैयार कर नकली टाटा नमक व नकली टाटा टी अग्नी बेचने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में अपराधों पर रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर मय उ0नि0 राजेश कुमार सिंह मय टीम को अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं पर्दाफाश हेतु लगाया था। टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मूखबीर खास आकर सूचना दिया कि मु0अ0सं0 141/21 धारा 63 कापीराइट एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त प्रमोद गुप्ता पुत्र स्व नन्द किशोर गुप्ता नि0 राजीव नगर (फलमण्डी) थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर जो फलमण्डी चौराहे पर कुछ सामान लेकर खड़ा है जो टाटा नमक और टाटा टी अग्नी चाय का नकली रैपर तैयार कर नकली टाटा नमक व नकली टाटा टी अग्नी बेचता है यदि जल्दी क्रिया जाय तो पकड़े जा सकते हैं कि इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम फलमण्डी चौराहे पर पहुँचे तो मुखविर खास ने दूर से ही इशारा करके बताया कि ये वही व्यक्ति है तथा मुखविर मौके से हट बढ़ गया। कि पुलिस टीम द्वारा एकाएक चारो तरफ से घेरकर उक्त अभियुक्त को मौके पर ही समय 17.30 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से प्रतिरूपण किया हुआ नकली टाटा प्रोडेक्ट 50 kg के पाँच बोरे टाटा साल्ट (नमक) व टाटा टी अग्नी चाय नकली 50 kg के 2 बोरे बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

प्रमोद गुप्ता पुत्र स्व नन्द किशोर गुप्ता नि0 राजीव नगर (फलमण्डी) थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास

141/2021 धारा 63 कापी राईट एक्ट थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी

1. नकली टाटा प्रोडेक्ट 50 kg के पाँच बोरे टाटा साल्ट (नमक)
2. टाटा टी अग्नी चाय नकली 50 kg के 2 बोरे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 लक्ष्मण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 जय प्रकाश सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।